भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : †3120**

उत्तर देने की तारीख : 11.03.2026

**राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम**

**†3120. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के उद्देश्य और कार्य क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एनएमडीएफसी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि एनएमडीएफसी की योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यक महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो?

<u>उत्तर</u>

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्री**
**(श्री किरेन रीजीजू)**

(क): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCAs) और चुनिंदा बैंकों के माध्यम से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार और आय-सृजन गतिविधियों के लिए रियायती ऋण प्रदान करना है।

(ख) और (ग): विवरण अनुबंध-क में दिया गया है।

**(घ): NMDFC द्वारा अपनी योजनाओं के तहत अल्पसंख्यक महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार है:**

**(i) महिलाओं के लिए रियायती ब्याज दरें:** महिला उद्यमिता और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, NMDFC **'क्रेडिट लाइन-2'** के तहत विशेष ब्याज रियायत प्रदान करता है:

- **सावधि ऋण :** महिलाओं के लिए **6%** प्रति वर्ष (पुरुषों के लिए 8% प्रति वर्ष)
- **सूक्ष्म वित्त:** महिलाओं के लिए **8%** प्रति वर्ष (पुरुषों के लिए 10% प्रति वर्ष)
- **शिक्षा ऋण:** महिलाओं के लिए **5%** प्रति वर्ष (पुरुषों के लिए 8% प्रति वर्ष)

**(ii) विरासत योजना (शिल्पकारों के लिए):** महिला शिल्पकारों को ब्याज में **1% की अतिरिक्त छूट** मिलती है, जिसके कारण वे **क्रेडिट लाइन-1 के तहत 4% प्रति वर्ष** और **क्रेडिट लाइन-2 के तहत 5% प्रति वर्ष** ब्याज देती हैं, जबकि **पुरुष लाभार्थियों के लिए यह दर क्रमशः 5% और 6%** है।

**(iii) सूक्ष्म वित्त योजना के तहत महिलाओं पर ध्यान केन्द्रण:** सूक्ष्म वित्त योजना मुख्य रूप से महिलाओं को लक्षित करती है, विशेष रूप से **दूरदराज के गांवों और शहरी झुग्गियों** में रहने वाली महिलाओं को। बचत और ऋण तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को **स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** में संगठित किया जाता है। प्रत्येक SHG सदस्य **1.00 लाख रुपए (क्रेडिट लाइन-1)** या **1.50 लाख रुपए (क्रेडिट लाइन-2)** तक का ऋण ले सकती है। इस योजना के तहत लगभग **98-99% लाभार्थी महिलाएं** हैं।

*****

**अनुबंध-क**

**'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम' विषय पर श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 11.03.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3120 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

**(रु. लाख में)**

| राज्य | 2022-2023 | | 2023-2024 | | 2024-2025 | | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लाभार्थियों की संख्या | संवितरित राशि | लाभार्थियों की संख्या | संवितरित राशि | लाभार्थियों की संख्या | संवितरित राशि | लाभार्थियों की संख्या | संवितरित राशि |
| अंडमान एवं निकोबार | 1 | 0.46 | 1 | 1.50 | - | - | 2 | 3.50 |
| आंध्र प्रदेश | 2,525 | 509.96 | 187 | 154.30 | 172 | 188.00 | 430 | 424.31 |
| अरुणाचल प्रदेश | - | - | - | - | 127 | 190.00 | 5 | 12.79 |
| असम | 59 | 58.54 | - | - | 7 | 8.00 | 31 | 68.69 |
| बिहार | 4 | 3.91 | 12 | 14.40 | 6 | 10.00 | 8 | 10.54 |
| चंडीगढ़ | 7 | 10.00 | 7 | 10.00 | | - | 2 | 3.00 |
| छत्तीसगढ़ | - | - | - | - | 2 | 3.00 | 4 | 6.18 |
| दिल्ली | 17 | 25.00 | | - | | - | | - |
| गोवा | 70 | 104.26 | 3 | 7.90 | 14 | 21.60 | 9 | 13.50 |
| गुजरात | 78 | 121.00 | 7 | 7.90 | 6 | 11.00 | 16 | 49.93 |
| हरियाणा | 633 | 880.15 | 185 | 266.00 | 360 | 570.70 | 266 | 397.70 |
| हिमाचल प्रदेश | 1,000 | 1,500.00 | 856 | 1,284.00 | 564 | 846.00 | 517 | 775.74 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 5,019 | 6,278.00 | 1,911 | 2,830.20 | 1,957 | 2,926.00 | 870 | 1,251.91 |
| झारखंड | 119 | 160.05 | 120 | 180.00 | - | - | 16 | 27.62 |
| कर्नाटक | 272 | 184.64 | 152 | 159.30 | 224 | 174.00 | 466 | 457.29 |
| केरल | 78,279 | 33,331.52 | 74,088 | 31,876.50 | 76,662 | 32,367.00 | 56,522 | 29,169.30 |
| लद्दाख | - | - | - | - | 67 | 100.00 | 279 | 418.20 |
| लक्षद्वीप | 2 | 3.00 | - | - | - | - | 4 | 5.81 |
| मध्य प्रदेश | 1 | 0.46 | - | - | 1 | 2.00 | 4 | 6.83 |
| महाराष्ट्र | 1,137 | 1,203.45 | 1,267 | 1,899.60 | 3,014 | 4,512.00 | 1,036 | 1,567.61 |
| मणिपुर | 8 | 3.45 | - | - | - | - | 24 | 33.11 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मेघालय | 4 | 2.94 | - | - | 1 | 0.50 | 69 | 75.74 |
| मिजोरम | 207 | 305.18 | 141 | 212.00 | 113 | 170.00 | 340 | 503.37 |
| नागालैंड | 5 | 3.16 | - | - | - | - | 31 | 40.51 |
| ओडिशा | 2 | 2.00 | - | - | 10 | 4.00 | 5 | 5.02 |
| पुडुचेरी | - | - | 1 | 1.90 | - | - | 1 | 0.39 |
| पंजाब | 60 | 84.65 | 77 | 113.50 | 629 | 944.00 | 468 | 800.48 |
| पंजाब ग्रामीण बैंक | | - | | - | 134 | 200.00 | 304 | 419.00 |
| राजस्थान | 350 | 515.84 | 70 | 104.80 | 295 | 445.00 | 6 | 15.23 |
| सिक्किम | | - | | - | 13 | 20.00 | 19 | 7.73 |
| तमिलनाडु | 13,855 | 5,677.08 | 16,554 | 5,704.40 | 19,443 | 7,702.00 | 20,656 | 8,555.68 |
| तेलंगाना | 669 | 608.39 | 35 | 22.10 | 8 | 4.00 | 67 | 99.42 |
| त्रिपुरा | 1 | 1.00 | - | - | 3 | 3.00 | 46 | 65.40 |
| उत्तर प्रदेश | 133 | 129.91 | 75 | 135.30 | 94 | 136.00 | 60 | 109.79 |
| उत्तराखंड | 26 | 16.42 | 19 | 34.90 | 3 | 2.00 | 54 | 42.81 |
| पश्चिम बंगाल | 101,237 | 36,446.94 | 89,097 | 31,524.60 | 96,350 | 34,483.00 | 118,193 | 39,053.56 |
| **कुल योग** | **205780** | **88171.36** | **184865** | **76545.1** | **200279** | **86042.8** | **200830** | **84497.69** |

*****